न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान ...... हजारीलाल ...... बनाम ...... एवं. मदनलाल

किस्म मुकदमा ...... धारा - 223 ...... अकील संख्या 2021/108

अभिभाषक अपीलान्ट ...... श्री रामप्रसाद नागर ...... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ...... श्री ओ.पी. मेहता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.5.24	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट गण एवं अभिभाषक अपीलांट को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में आदेशिका दिनांक 21.6.23 की पालना में कायम मुकाम ~~[illegible]~~ की कार्यवाही अभिभाषक अपीलांट द्वारा आदिनांक तक नहीं करवायी गयी। अभि० अपीलांट पत्रावली की कार्यवाही हेतु ना तो मुख्यालय पर उपस्थित हुए और ना ही बारां कोर्ट कैम्प में उपस्थित हुए। अतः आदेशिका दिनांक 21.6.23 की पालना नहीं किये जाने के कारण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा

1. हजारीलाल पुत्र गुलाब जाति सहरिया
2. कँवरिया उर्फ कँवरलाल पुत्र दोज्या जाति सहरिया
निवासीगण किशनगंज तह0 किशनगंज जिला बारां

– अपीलांटान

बनाम

1. स्व0 मदनलाल पुत्र स्व0 श्रीलाल जाति खटीक
जर्ये कायम मुकामान् :–
1/1 गणेश
1/2 हुकमचंद
1/3 महावीर
— पुत्रान् स्व0 मदनलाल जाति खटीक निवासीगण किशनगंज तह0 किशनगंज जिला बारां

2. छोटू लाल पुत्र स्व0 श्रीलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्रीलाल
4. रणजीत पुत्र स्व0 श्रीलाल
5. योगेश पुत्र स्व0 श्रीलाल
— जाति खटीक निवासीगण किशनगंज तह0 किशनगंज

6. स्व0 युधिष्ठर पुत्र स्व0 श्रीलाल जाति खटीक
जर्ये कायम मुकामान् :–
6/1 दीपक पुत्र स्व0 युधिष्ठर
6/2 कार्तिक कुमार पुत्र स्व0 युधिष्ठर
— नाबालिग जर्ये वली माता
मंजूबाई बेवा युधिष्ठर खटीक निवासीगण किशनगंज

7. मोहनीबाई पुत्री स्व0 श्रीलाल
8. कँचनबाई स्व0 श्रीलाल
9. चमेलीबाइ स्व0 श्रीलाल
10. सोहनीबाई स्व0 श्रीलाल
11. विमलाबाई स्व0 श्रीलाल
12. चम्पाबाई स्व0 श्रीलाल
— समस्त जाति खटीक निवासीगण किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान

13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

– रेस्पोडेन्टान

सम्माननीय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज की राजस्व वाद क्र0 2011/00045 स्व0 मदनलाल बनाम हजारीलाल वगैरह निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2021 की अप्रसन्नता से राज0 टीनेन्सी एक्ट की धारा 223 के अन्तर्गत अपील

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से हैं :–

1. यह कि रेस्पोडेन्टान/वादीगण की ओर से अपीलांटान/प्रतिवादीगण एवम् मृतक हेमराज पुत्र गुलाब व पप्पू पुत्र नंदा जाति सहरिया निवासीगण किशनगंज के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज में अपीलांटन के स्व0 पिता दोज्या के खाते की ग्राम रानी बड़ौद तहसील किशनगंज जिला बारां की खसरा नं0–295 की 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि दिनांक 10.05.1953 को जर्ये तहरीर वादीगण के पिता श्रीलाल पुत्र भंवरलाल खटीक द्वारा 750/– रूपये में खातेदार दोज्या सहरिया के पैसे के अभाव में खरीद कर दिनांक 15.04.1969 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र धारा 42 रा0टी0 एक्ट के प्रावधानों के विपरीत 750/– रूपयों में खरीद किया जाना बताकर अनुसूचित **जनजाति "सहरिया" के खाते व कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर वादीगण पिछड़ी जाति 'खटीक'** को खातेदार घोषित कराये जाने की प्रार्थना करते हुए धारा 88, 89, 188 रा0टी0एक्ट के अन्तर्गत वाद–पत्र दायर किया गया, जिसमें अपीलांटन/प्रतिवादीगण द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 15.04.1969 को धारा 42 रा0टी0एक्ट के प्रावधानों मुताबिक कानूनन शून्य एवं निरर्थक होना प्लीड करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत कर दावा वादीगण खारिज करने की प्रार्थना की गई जिस पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–